


न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर , म०प्र० ,



श्री वीरेंद्र सिंह  
व्यापक 10/11/14  
[Signature]

R-3911-III 14

महेश प्रसाद पटेल तन्व श्री शिवपूष लाला पटेल निवासी ग्राम जुडमनियां  
मुरली तह० नईगढी जिला रीवा म०प्र० ..... आवेदक

बनाम

म०प्र० शासन द्वारा तहसीलदार नईगढी , जिला रीवा म०प्र०

..... अनावेदक

स्वमेव निगरानी. बिरुद्ध प्रकरण क्रमांक 4568 / 97-98

पारित आदेश दिनांक 01-06-1998 का मौके

से पालन कराया जाकर आ० ख० क्रमांक 2220 रोड  
में किये गये अतिक्रमण को हटवाये जाने । एवं प्रकरण

क्रमांक 4568 / 97-98 आदेश दिनांक 01-06-98

स्वमेव निगरानी अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 50 एवं सहपठित  
धारा 32 एवं आदेश 21 नियमा, 2 ध्य० प्र०  
संहिता ।

मान्यवर ,

निगरानी के आधार निम्न है :-

1- यहू कि आ० ख० क्रमांक 2220 शासकीय मार्ग है इस मार्ग  
के किनारे अतिक्रमण कारियों के द्वारा अतिक्रमण किया जाकर  
भवन निर्माण का कार्य कर लिया गया था जिसके संबंध में तहसीलदार  
नईगढी के द्वारा अतिक्रमण कारियों के बिरुद्ध प्रकरण क्रमांक 35 68 /

482  
10/11/14

~~क्रमांक  
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज  
दिनांक को प्राप्त~~

~~क्लर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर~~

क्रमांक 3639  
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज  
दिनांक को प्राप्त  
13/11/14

क्लर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

[Handwritten mark]


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र. नि.3911-तीन/14

जिला-रीवा

24

गिरीश प्रसाद चौधरी / शास्त्र (म.प्र.)

(1)	(2)	(3)
26.10.16	<p>आवेदक एवं आवेदक के अधिवक्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक के अधिवक्ता को समय-समय पर आवाज लगवाई गयी उसके बाद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। आवेदक के अधिवक्ता के उपस्थित न होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

M